न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या - 264/2019

निर्णय दिनांक 12.2.2021

1. राजेश कंवर पत्नी करणीसिंह
2. विमलेश पत्नी रघुवीर सिंह
} जाति राजपूत निवासीगण भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act.

उपस्थित :-

1. श्री मेवासिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2. पैरोकारराज वास्ते अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 553 तादादी 2.36 हैक्टर वाके रोही भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर 1/2 - 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त करती आ रही है व फसल उत्पादन करती आ रही है व बिना बाधा के इसका उपयोग उपभोग काबिज काश्तकार रहकर करती आ रही है लेकिन प्रार्थीगण के खेत पड़ोसियान ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि की चारो सीमाओ को दबाकर उक्त सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाह रहे है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओ को तोड़कर सीमा विवाद बनाये हुए है। सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाई जानी न्यायहित में

2

आवश्यक है जिससे कि शांति वातावरण बना रह सके इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। आदि-आदि पेश कर विवादित कृषिभूमि ख० नं० 553 तादादी 2.36 हैक्टर वाके रोही भैंसली की चारों सीमाओं का सीमाज्ञान कराया जा कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढ़ी कराये जाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थी को नियमानुसार तलब किया। अप्रार्थी जरिए पेशकार राज उपस्थित आये व राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी से वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश करवा कर अपने खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह पैमाईश के मुताबिक कायम करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में है। प्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया है ऐसे में मौका पर प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की पैमाईश करवा कर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी योग्य टीम गठित करके रोही ग्राम भैंसली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के खसरा नम्बर 553 तादादी 2.36 हैक्टर की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में की जा कर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश की पालना करवा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)